रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241477
CG-DL-E-29122022-241477

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2022/पौष 7, 1944
No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2022/PAUSHA 7, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

सं. 46/2015–2020

विषयः भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए) के तहत टीआरक्यू को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.107 और परिशिष्ट–2क में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/05/एएम–22/पीसी–2(ख)/ई–34097.—विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए) के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) हेतु उल्लिखित मदों और संबंधित प्रावधानों को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.107 और परिशिष्ट–2क को निम्नानुसार संशोधित करते है–

1. इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए के तहत निम्नलिखित वार्षिक आयात टीआरक्यू को शामिल करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.107 को संशोधित किया जाता है–

एचएस कोड	मद विवरण	कोटा दर मे (%)	केलैडंर वर्श 2022 हेतु टीआरक्यू मात्रा	केलैडंर वर्श 2023 से आगे टीआरक्यू मात्रा
07134000	मसूर की दाल	शुल्क के लागू दर क 50%	1,233 मी.टन	1,50,000 मी.टन
08021100	इन–शेल बादाम	शुल्क के लागू दर क 50%	279 मी.टन	34,000 मी.टन
08021200	छिलके वाले बादाम			
08051000	संतरे	शुल्क के लागू दर क 50%	113 मी.टन	13700 मी.टन
08052100	नारंगी (कीनू और सत्सुमस सहित)			

08083000	नाशपाती	शुल्क के लागू दर क 50%	30 मी.टन	3700 मी.टन
52010020	न्यूनतम 28 मि मी स्टेपल लंबाई का अतिरिक्त लंबा स्टेपल कॉटन	शून्य प्रतिशत शुल्क	419 मी.टन	51,000 मी.टन

2. ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक टीआरक्यू हेतु यथोचित मात्रा तक टीआरक्यू प्रमाणपत्र जारी करते हुए निर्यातकों अथवा उत्पादकों को टीआरक्यू का आवंटन करेगा।

3. ऑस्ट्रेलिया में टीआरक्यू प्रमाणपत्रों हेतु सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक टीआरक्यू प्रमाणपत्र को डीजीएफटी की ईमेल ddg1import-dgft@gov.in और policy2- dgft@gov.in पर साझा करेगा।

4. भारतीय आयातक डीजीएफटी को टीआरक्यू प्रमाणपत्र हेतु डीजीएफटी की वेबसाइट (https://dgft.gov.in)→सेवाएं→आयात प्रबंधन प्रणाली→प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू)→ 'टीआरक्यू हेतु आवेदन करें' पर आवेदन प्रस्तुत करें। उक्त आवेदक ऑस्ट्रेलिया में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑस्ट्रेलियन निर्यातकों को जारी किए गए निर्यात टीआरक्यू का संदर्भ अनिवार्य रुप से अपलोड करेगा अथवा प्रदान करेगा।

5. डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए टीआरक्यू में आयातक का नाम एवं पता, आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी), सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या, यथा लागू प्रशुल्क मद, मात्रा और टीआरक्यू की वैधता अवधि होनी चाहिए।

6. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रुप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा।

7. टीआरक्यू के तहत आयात आईसीईएस प्रणाली में केवल इलेक्ट्रॉनिक रुप से डेबिट करने पर अनुमत होगा।

8. इन टीआरक्यू आयातों के संबंध में वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर अर्थात भारत में कैलेण्डर वर्ष होगा।

9. दिए गए वर्ष में टीआरक्यू प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने के लिए कोई भी अंतिम तिथि नही होगी। डीजीएफटी जारी किए गए टीआरक्यू प्रमाणपत्रों हेतु संचयी मात्रा की निगरानी करेगा। एक बार उल्लिखित टीआरक्यू मात्रा सीमा तक पहुंचने के बाद किन्हीं भी टीआरक्यू प्रमाणपत्रो को जारी नहीं किया जाएगा।

10. टीआरक्यू प्रमाणपत्र अधिकतम 12 माह की अवधि या वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो के लिए वैध होगा। टीआरक्यू प्राधिकार–पत्र के तहत टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के केवल उल्लिखित वैधता के भीतर भारतीय सीमाशुल्क से आयात निकासी की जा सकती है।

11. आयात इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए (समय–समय पर यथा संशोधित) से संबंधित दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 66/2022 के अधीन होगा। इसके अलावा डीजीएफटी के पास किसी भी समय जैसा उचित समझा जाए तौर–तरीके/आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12. इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए के तहत टीआरक्यू आयात हेतु आवेदन के लिए प्रक्रिया को जैसे कि ऊपर बताया गया है प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक–V के तहत शामिल किया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः इंडो–ऑस्ट्रे ईसीटीए के तहत वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 66/2022–सीमाशुल्क दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के अनुरुप प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2022

No. 46/2015-2020

Subject: Amendments under Para 2.107 and Appendix-2A of Handbook of Procedure 2015-20 for inclusion of TRQs under India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA)

F. No. 01/93/180/05/AM-22/PC-2[B]/E-34097.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Para 2.107 and Appendix-2A of the Handbook of Procedure 2015-2020 to incorporate the items mentioned and related provisions for Tariff Rate Quota (TRQ) under India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) as follows –

1. Para 2.107 of the HBP is amended to include the following annual Import TRQs under Ind-Aus ECTA—

HS code	Item Description	In Quota rate (%)	TRQ Quantity for Calendar year 2022	TRQ Quantity Calendar Year 2023 onwards
07134000	Lentils	50% of the applied rate of duty	1,233 MTs	1,50,000 MTs
08021100	In shell almonds	50% of the applied rate of duty	279 MTs	34,000 MTs
08021200	Shelled almonds			
08051000	Oranges	50% of the applied rate of duty	113 MTs	13,700 MTs
08052100	Mandarins (including tangerines & satsumas)			
08083000	Pears	50% of the applied rate of duty	30 MTs	3,700 MTs
52010020	Extra Long Staple Cotton of minimum 28 mm staple length	0% duty	419 MTs	51,000 MTs

2. Australia shall allocate TRQs to exporters or producers by issuing TRQ certificates up to relevant quantities for each TRQ.

3. The competent authority for TRQ certificates in Australia shall share each TRQ certificate over email with DGFT at ddg1import-dgft@gov.in **and** policy2-dgft@gov.in

4. The Indian Importer shall file an application for TRQ Certificate to DGFT on the *DGFT Website (https://dgft.gov.in) → Services → Import Management System → Tariff Rate Quota (TRQ) → 'Apply for TRQ'*. The given applicant shall mandatorily upload or provide reference to the Export TRQ issued to the Australian Exporter by the competent authority in Australia.

5. The TRQ issued by DGFT shall contain the name and address of the importer, Importer -Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff item as applicable, quantity and validity period of the TRQ.

6. The TRQ authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES).

7. Imports against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.

8. The year in respect of these TRQ imports will be the period from 1st January to 31st December, i.e., calendar year in India.

9. There shall be no end date for applying for the TRQ Certificate in the given year. DGFT shall monitor the cumulative quantities for TRQ Certificates issued. No TRQ Certificates shall be issued once the stated TRQ quantity limit is reached.

10. TRQ Certificate shall be valid for a maximum period of 12 months or the end of the year, whichever is earlier. The imports against a TRQ authorisation may be cleared from Indian Customs only within the stated validity of the TRQ authorisation.

11. Import would be subject to Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 66/2022-Customs dated 26th December 2022 relating to Ind-Aus ECTA (as amended from time to time). Further, DGFT reserves the right to make any changes in the modalities/allocation process at any point of time, as deemed fit.

12. Procedure for application for imports under TRQ under Ind-Aus ECTA as enumerated above, shall be inserted under Annexure V of Appendix 2A of Handbook of Procedures 2015-20.

Effect of this Public Notice: Procedure for allocation of Tariff Rate Quotas (TRQ) in line with the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification no. 66/2022-Customs dated 26th December 2022 under Ind-Aus ECTA is notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.29 14:52:14 +05'30'